

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
पलवी बनाम रामकरण आदि 527

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

रिस्टोर प्रकरण संख्या ~~527~~ वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
24.09.2025	<p>वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार होने पर मूल वादपत्र को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते तल्बी प्रतिवादीगण आईन्दा तारीख <del>29-11-2025</del> को पेश हो। 3-12-2024</p> <p>3-12-2024</p> <p>जुलाय 10 अहकाम न्यायालय/PU भा. 527 पुनः दर्ज पत्रावली में पत्रावली दर्ज दिनांक 30.11.2024</p>	
30.12.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना - पत्र सिवाल ये की केरी केरा करने पर पत्रावली को केरी में लिखा गया। वकील वादी ने निवेदन लिखा कि वाद-पत्र आगे नही चलाना चाहते हैं। मौजूदा सिविली में जारी करवाना चाहते हैं। इस वाद-पत्र मौजूदा सिविली में जारी ज किया जाता है। पत्रावली नखर से कस से जाकर वाद तल्बीक तल्बीक जाकर साहित्य दफ्तार हो।</p> <p>or</p>	

